इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेशा राजापत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 552]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2022—आश्विन 14, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2022

क्र. 15014-246-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 3 अक्टूबर, 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २२ सन् २०२२

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०२२

[दिनांक २९ सितम्बर, २०२२ को राज्यपाल की अनुमित प्राप्त हुई, अनुमित ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ६ अक्टूबर २०२२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०२२ है.

संक्षिप्त नाम.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन

- २. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में,—
 - (१) धारा ९ में,-
 - (क) उपधारा (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''(क) नगरपालिक क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित महापौर अर्थात् सभापितः'';
 - (ख) उपधारा (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—
 - ''(४) यदि कोई नगरपालिक क्षेत्र महापौर का निर्वाचन करने में असफल रहता है, या कोई वार्ड पार्षद् का निर्वाचन करने में असफल रहता है, तो यथास्थिति, ऐसे नगरपालिक क्षेत्र या वार्ड के स्थान को भरने के लिए छह माह के भीतर नई निर्वाचन कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी और जब तक उस स्थान को भरा नहीं जाता, उसे आकस्मिक रिक्ति समझा जाएगा:
 - परंतु अधिनियम के अधीन अध्यक्ष या सिमितियों में से किसी के निर्वाचन की कार्यवाहियां, ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते स्थिगित नहीं की जाएंगी.''.
 - (२) धारा १० में, उपधारा (४) में, प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''परंतु किसी भी नगरपालिक निगम के कार्यकाल की पूर्णता के दो माह पूर्व क्षेत्र के सिम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, जिसमें असफल होने पर राज्य निर्वाचन आयोग प्रचलित परिसीमन के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ कर सकेगा.''.
 - (३) धारा १४ में,-
 - (क) उपधारा (१) में, शब्द ''पार्षदों'' के पश्चात्, शब्द ''तथा महापौर'' अंत:स्थापित किये जाएं.
 - (ख) उपधारा (२) में, शब्द ''पार्षदों'' के पश्चात्, शब्द ''तथा महापौर'' अंत:स्थापित किये जाएं.

- (४) धारा १४-क में, उपधारा (१) में, शब्द ''पार्षद्'' के स्थान पर शब्द ''महापौर अथवा पार्षद्'' स्थापित किए जाएं.
- (५) धारा १४-ख में, शब्द ''पार्षद्'' के स्थान पर, शब्द ''महापौर अथवा पार्षद्'' स्थापित किए जाएं.
- (६) धारा १४-ग में, शब्द ''पार्षद्'' के पश्चात् शब्द ''या महापौर'' अंत:स्थापित किए जाएं.
- (७) धारा १५ में,-
 - (क) शब्द ''पार्षदों'' के पश्चात् शब्द ''या महापौर'' अंत:स्थापित किए जाएं.
 - (ख) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
 - ''परन्तु कोई भी व्यक्ति यथास्थिति, पार्षदों के किसी निर्वाचन में या महापौर के निर्वाचन में, एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा.''.
- (८) धारा १६ में, उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—
 - ''(४) यदि कोई व्यक्ति महापौर और पार्षद् दोनों पदों के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो उसे निर्वाचित घोषित किए जाने की तारीख से सात दिन के भीतर किसी एक पद से अपना त्यागपत्र देना होगा.''.
- (९) धारा १७ में,-
 - (क) पार्श्व शीर्ष में, शब्द ''पार्षद्'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' जोड़े जाएं.
 - (ख) उपधारा (१) में,--
 - (एक) प्रारंभिक पैरा में, शब्द ''पार्षद्'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' अन्तःस्थापित किए जाएं:
 - (दो) खण्ड (ख ख) में, शब्द ''पार्षद्'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' अन्त:स्थापित किये जाएं.
 - (ग) उपधारा (२) में,—
 - (एक) शीर्ष में, शब्द ''पार्षद्'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' जोड़े जाएं;
 - (दो) प्रारंभिक पैरा में, शब्द ''पार्षद्'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' अन्त:स्थापित किए जाएं;
 - (तीन) खण्ड (ङ) में, शब्द ''पार्षद्'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' अन्त:स्थापित किए जाएं;
 - (घ) उपधारा (३) में, शब्द ''पार्षद्'' जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर, शब्द ''पार्षद् या महापौर'' स्थापित किए जाएं.
- (१०) धारा १७-ख में,—
 - (क) पार्श्व शीर्ष में, शब्द ''पार्षद्'' के स्थान पर, शब्द ''महापौर तथा पार्षद्'' स्थापित किए जाएं;
 - (ख) उपधारा (१) में, प्रारंभिक पैरा में, शब्द ''प्रत्येक पार्षद्'' के स्थान पर, शब्द ''महापौर तथा प्रत्येक पार्षद्'' स्थापित किए जाएं;

- (ग) उपधारा (२) में,-
 - (एक) प्रारंभिक पैरा में, शब्द ''पार्षद्'' जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द ''महापौर तथा पार्षद्'' स्थापित किए जाएं;
 - (दो) परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:--
 - ''परन्तु संभागीय आयुक्त की अनुमित के सिवाय, यदि कोई महापौर या पार्षद्, यथास्थिति, अपने निर्वाचन या नामनिर्देशन की तारीख से तीन माह के भीतर शपथ नहीं लेता है तो उसका स्थान स्वयंमेव ही रिक्त हुआ समझा जाएगा.''.

(११) धारा १८ में,-

- (क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:— ''अध्यक्ष (स्पीकर) का निर्वाचन'';
- (ख) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—
 - ''(१) निगम का महापौर तथा निर्वाचित पार्षद्, धारा २२ के अधीन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, विहित रीति में, सम्मिलन में, निर्वाचित पार्षदों में से अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे, जिसे कलक्टर द्वारा बुलाया जाएगा तथा वह उसकी अध्यक्षता करेगा.'';
- (ग) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—
 - ''(३) उपधारा (१) के अधीन सम्मिलन, कलक्टर द्वारा बुलाया जाएगा और जिसकी अध्यक्षता कलक्टर द्वारा की जाएगी. पीठासीन अधिकारी को मत देने का अधिकार नहीं होगा और मतों के बराबर होने की दशा में, परिणाम का विनिश्चय, ऐसी रीति में, जैसी की विहित की जाए, लॉट द्वारा किया जाएगा.''.
- (१२) धारा २० में, स्पष्टीकरण में, शब्द ''तथा महापौर'' का लोप किया जाए.
- (१३) धारा २३-क में,—
 - (क) पार्श्व शीर्ष में तथा उपधारा (१) में, शब्द ''या महापौर'' जहां कहीं भी वे आए हों, का लोप किया जाए;
 - (ख) उपधारा (२) के खण्ड (दो) में, शब्द ''अध्यक्ष, महापौर'' के स्थान पर, शब्द ''महापौर'' स्थापित किया जाए.
- (१४) धारा २३-क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—
 - ''२४. महापौर का वापस बुलाया जाना—
 - (१) किसी निगम के प्रत्येक महापौर द्वारा अपना पद तत्काल रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा यदि उसे ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो कि विहित की जाए, निगम क्षेत्र के मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक मतदाताओं के बहुमत द्वारा गुप्त मतदान से वापस बुलाया जाए:

परन्तु वापस बुलाने की ऐसी कोई प्रक्रिया तब तक आरम्भ नहीं की जाएगी जब तक कि निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम तीन चौथाई पार्षदों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर न कर दिए जाएं और उसे संभागीय आयुक्त को प्रस्तुत न कर दिया जाए:

परन्तु यह और कि ऐसी कोई प्रक्रिया:-

- (एक) उस तारीख से, जिसको कि ऐसा महापौर निर्वाचित होता है और अपना पद धारण करता है, दो वर्ष की कालाविध के भीतर; और
- (दो) यदि महापौर उप चुनाव में निर्वाचित होता है तो उसकी पदाविध की आधी कालाविध का अवसान न हो गया हो, आरंभ नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और भी कि महापौर को वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया उसकी संपूर्ण पदाविध में एक बार ही आरम्भ की जाएगी.

- (२) संभागीय आयुक्त अपना समाधान कर लेने और यह सत्यापित कर लेने के पश्चात् कि उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट तीन चौथाई पार्षदों ने वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार उसे राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित करेगी.
- (३) राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश प्राप्त होने पर, वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, मतदान कराने की व्यवस्था करेगा.''.
- (१५) धारा ४४१ में, उपधारा (२) में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''(तीन) महापौर के निर्वाचन की दशा में, नगरपालिक क्षेत्र के किसी मतदाता द्वारा.''.

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

- ३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में,—
 - (१) धारा २९ में उपधारा (४) में, प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''परन्तु किसी भी नगरपालिक परिषद् के कार्यकाल की पूर्णता के दो माह पूर्व क्षेत्र के सिम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, जिसमें असफल होने पर राज्य निर्वाचन आयोग प्रचलित परिसीमन के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ कर सकेगा:''.

- (२) धारा ३४ में,-
 - (क) उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, अंक तथा शब्द ''२५ वर्ष'' के स्थान पर, अंक तथा शब्द ''२१ वर्ष'' स्थापित किए जाएं;
 - (ख) उपधारा (४) का लोप किया जाए.
- (३) धारा ३५ में, खण्ड (घघ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 "(घघ) अध्यक्ष तथा पार्षद की दशा में आयु २१ वर्ष से कम हो;".
- (४) धारा ४३ में, उपधारा (१) में, शब्द ''राज्य निर्वाचन आयोग'' के स्थान पर, शब्द ''कलक्टर'' स्थापित किया जाए.
- (५) धारा ५५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:--

आम निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलनः

- ''५५. (१) कलक्टर, धारा ४५ के अधीन पार्षदों के निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने के प्रयोजन के लिए निर्वाचित पार्षदों का सम्मिलन बुलाएगा.
- (२) उपधारा (१) के अधीन बुलाए गए परिषद् के प्रथम सिम्मलन की अध्यक्षता कलक्टर द्वारा नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारी द्वारा, जो नगरपालिका परिषद् के मामले में डिप्टी कलक्टर की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो तथा नगर परिषद् के मामले में तहसीलदार की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, की जाएगी और इस अध्याय में अंतर्विष्ट वे समस्त उपबंध जो परिषद् के सिम्मलनों के बारे में है, यथाशक्य ऐसे सिम्मलन के संबंध में लागू होंगे:

परन्तु अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को ऐसे सिम्मिलन में मत देने का अधिकार नहीं होगा और मतों के बराबर होने की दशा में परिणाम का विनिश्चय लॉट द्वारा किया जाएगा.''.

निरसन तथा ४. (१) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०२२ (क्रमांक ३ सन् २०२२) तथा मध्यप्रदेश व्यावृत्ति. नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२२ (क्रमांक ५ सन् २०२२) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

> (२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2022

क्र. /242-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2022 (क्रमांक 22 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT No. 22 of 2022

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2022

[Received the assent of the Governor on the 3rd October, 2022; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 6th October, 2022.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-third year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, Short title. 2022.

PART-I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (NO. 23 OF 1956)

- 2. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956),—
- (1) In section 9,—
- (a) in sub-section (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—
- "(a) a Mayor that is chairperson elected by direct election from the municipal area;";
- (b) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:—
 - "(4) If any municipal area fails to elect a Mayor or any ward fails to elect a Councillor, fresh election proceedings shall be commenced for such Municipal area or ward, as the case may be, within six months to fill the seat, and until the seat is filled it shall be treated as casual vacancy:

Provided that proceedings of election of Speaker, or any of the Committee under the Act shall not be stayed, pending the election of such seat.".

(2) In section 10, in sub-section (4), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely: —

"Provided that the process of inclusion or exclusion of area or reformation of wards shall be completed two months before the completion of the tenure of any Municipal Corporation failing which the State Election Commission may start electoral process on the basis of prevailing delimitation.".

- (3) In section 14,—
- (a) in sub-section (1), after the word "Councillors", the words "and Mayors" shall be inserted;
- (b) in sub-section (2), after the word "Councillors", the words "and Mayors" shall be inserted.

- (4) In section 14-A, in sub-section (1), for the word "Councillors", the words "Mayor or Councillor" shall be substituted.
- (5) In section 14-B, for the word "Councillors", the words "Mayor or Councillor" shall be substituted.
 - (6) In section 14-C after the word "Councillors", the words "or a Mayor" shall be inserted.
 - (7) In section 15,—
 - (a) after the word "Councillors", the words "or Mayor" shall be inserted;
 - (b) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—
 - "Provided that no person shall vote more than once in any election of the Councillors or an election of the Mayor, as the case may be.".
 - (8) In section 16, after sub-section (3), the following sub-section shall be added, namely:—
 - "(4) If a person is elected for the Office of Mayor and Councillor both, he shall have to resign from one of the offices within seven days from the date on which he is elected.".
 - (9) In section 17,—
 - (a) in the marginal heading, after the word "Councillor", the words "or Mayor" shall be added;
 - (b) in sub-section (1),—
 - (i) in the opening paragraph, after the word "Councillor", the words "or Mayor" shall be inserted;
 - (ii) in clause (bb), after the word "Councillor", the words "or Mayor" shall be inserted;
 - (c) in sub-section (2),—
 - (i) in the heading, after the word "Councillor", the words "or Mayor" shall be added;
 - (ii) in the opening paragraph, after the word "Councillor", the words "or Mayor" shall be inserted;
 - (iii) in clause (e), after the word "Councillor", the words "or Mayor" shall be inserted:
 - (d) in sub-section (3), for the word "Councillor" wherever it occurs, the words "Councillor or Mayor" shall be substituted.
 - (10) In section 17-B, --
 - (a) in the marginal heading, for the word "the Councillor", the words "The Mayor and the Councillor" shall be substituted;

- (b) in sub-section (1), in the opening paragraph, for the words "Every Councillor", the words "Mayor and every Councillor" shall be substituted;
 - (c) in sub-section (2), —
 - (i) in the opening paragraph, for the word "Councillor" wherever it occurs, the words "the Mayor or Councillor" shall be substituted;
 - (ii) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: —
 - "Provided that except with the permission of the Divisional Commissioner, if any Mayor or Councillor, as the case may be, does not take an oath within three months from the date of his election or nomination, as the case may be, his seat shall be deemed to have been vacant ipso facto.".

(11) In section 18,-

(a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

"Election of Speaker";

- (b) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely: —
- "(1) The Mayor and the elected Councillors of the Corporation shall, within 15 days from the date of notification of the election under section 22, in the prescribed manner, elect Speaker from the elected Councillors in a meeting, which shall be called and presided over by the Collector.";
- (c) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely: —
- "(3) The meeting under sub-section (1) shall be called by the Collector, and the same shall be presided over by the Collector. The presiding officer shall not have the right to vote and in case of equality of votes the result shall be decided by lot in such manner as may be prescribed.".
- (12) In section 20, in the Explanation, the words "and the Mayor" shall be omitted.
- (13) In section 23-A,-
- (a) in the marginal heading and in sub-section (1), the words "or Mayor" wherever they occur shall be omitted;
- (b) in clause (ii) of sub-section (2), for the words "Speaker, Mayor", the word "Mayor" shall be substituted.
- (14) After section 23-A, the following section shall be inserted, namely:—
- "24. Recalling of Mayor.—(1) Every Mayor of Corporation shall forthwith be deemed to have vacated his office if he is recalled through a secret ballot by a majority of more than half of the total number of voters of the Corporation area casting the vote in accordance with the procedure as may be prescribed:

Provided that no such process of recall shall be initiated unless a proposal is signed by not less than three fourth of the total number of the elected Councillors and presented to the Divisional Commissioner:

Provided further that no such process shall be initiated:-

- within a period of two years from the date on which such Mayor is elected and enters his office;
- (ii) if half of the period of tenure of the Mayor elected in a by-election has not expired:

Provided also that process for recall of the Mayor shall be initiated once in whole term.

- (2) The Divisional Commissioner, after satisfying himself and verifying that the three fourth of the Councillors specified in sub-section (1) have signed the proposal of recall, shall send the proposal to the State Government and the State Government shall make a reference to the State Election Commission.
- (3) On receipt of the reference, the State Election Commission shall arrange for voting on the proposal of recall in such manner as may be prescribed.".
- (15) In section 441, in sub-section (2), in clause (b), for sub-clause (iii), the following sub-clause shall be substituted, namely:
 - "(iii) in case of election of Mayor, by any voter of the Municipal area.".

PART—II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (NO. 37 OF 1961)

- 3. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961),-
- (1) In section 29, in sub-section (4), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that the process of inclusion or exclusion of area or reformation of wards shall be completed two months before the completion of tenure of any Municipal Council failing which the State Election Commission may start electoral process on the basis of prevailing delimitation.".

- (2) In section 34,---
 - (a) in sub section (1), in clause (a), for the figure and word "25 years", the figure and word "21 years" shall be substituted;
 - (b) sub-section (4) shall be deleted.
- (3) In section 35, for clause (dd), the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(dd) is less than twenty-one years of age, in case of President and Councillor;",
- (4) In section 43, in sub-section (1), for the words "State Election Commission", the word "Collector" shall be substituted.

- (5) For section 55, the following section shall be substituted, namely:—
 - "55. First meeting after general election.—(1) The Collector shall, within fifteen days from the date of notification of election of Councillors under section 45, call a meeting of the elected Councillors for the purpose of electing a President and a Vice-President.
- (2) The first meeting of the Council called under sub-section (1) shall be presided over by such officer not below the rank of Deputy Collector in the case of Municipal Council and not below the rank of Tehsildar in the case of Nagar Parishad, appointed by the Collector and all provisions contained in this Chapter regarding meeting of the Council, shall, as far as may be, apply in respect of such meeting:

Provided that the presiding officer shall not have right to vote at such meeting and in case of equality of votes, the result shall be decided by lot;.

4. (1) The Madhya Pradesh NagarpalikVidhi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2022 (No. 3 of 2022) and the Madhya Pradesh NagarpalikVidhi (Dwitiya Sanshodhan) Adhyadesh, 2022 (No. 5 of 2022) are hereby repealed.

Repeal and saving.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinances, anything done or any action taken under the said Ordinances shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.